भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2888**

**06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न**

**पौष्टिक आहार की कमी और पोषण संबंधी असुरक्षा**

**2888. श्री राजा राम सिंह:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 40 प्रतिशत ग्रामीण और 20-30 प्रतिशत शहरी भारतीय, गरीबी रेखा से ऊपर होने के बावजूद दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पुरानी गरीबी रेखा के कारण वंचित गैर-लाभार्थियों में पौष्टिक आहार की कमी और पोषण संबंधी असुरक्षा को दूर करने में विफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में संशोधन करने जा रही है ताकि इसमें उन लोगों को शामिल किया जा सके जो न्यूनतम पोषक थाली/भोजन का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं, भले ही वे वर्तमान आय-आधारित न्यूनतम सीमा से बाहर हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या थाली सूचकांक जैसे खाद्य वहनीयता सूचकांकों को लक्ष्य निर्धारक ढांचे में शामिल करने के लिए नीति आयोग के साथ कोई समन्वय किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर रखे गए आंकड़ों और प्रति व्यक्ति खाद्य वहनीयता का राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार, जो सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न जबकि प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क पाने के पात्र हैं।

...2/-

इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफ़ी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिले। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 81.35 करोड़ व्यक्तियों की अभीष्ट कवरेज की तुलना में 80.56 करोड़ लोगों की पहचान की है। फिर भी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनएफएसए के अंतर्गत 0.79 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने की गुंजाइश है।

केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों का वित्तीय बोझ कम करने और देशव्यापी एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और पीएचएच लाभार्थियों को दिनांक 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि को अब दिनांक 1 जनवरी, 2024 से अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसका वहन पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

**(ख):** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के पूरक के रूप में, भारत सरकार गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 माह से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आईसीडीएस स्कीम के तहत एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केंद्रों के व्यापक नेटवर्क अर्थात आंगनवाड़ी केंद्रों और साथ ही पीएम-पोषण स्कीम के तहत स्कूलों के माध्यम से उन्हें निःशुल्क पौष्टिक आहार प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कर लक्षित सहायता प्रदान करती है।

साथ ही, अधिक प्रभावी पोषण अंतःक्षेपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में संशोधन किया है। नई अनुसूची ने आईसीडीएस और पीएम-पोषण के तहत बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पूरक आहार को संशोधित किया है, जिससे यह अधिक आयु-अनुकूल और पोषण की दृष्टि से संतुलित हो गया है।

इसके अलावा, टीपीडीएस और केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चावल को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 से संवर्धित किया जाता है ताकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विशेष रूप से एनीमिया का समाधान किया जा सके।

**(ग) से (ड.):** इस अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीपीडीएस के तहत कवरेज का प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और राज्य में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना उस जनगणना के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की जाएगी, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। इसलिए, एनएफएसए के तहत कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद ही संभव होगा। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अभी भी मौजूदा जनसंख्या जनगणना के अनुसार एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 0.79 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने की गुंजाइश है। इसके अलावा, लक्ष्यीकरण ढांचे को एनएफएसए की धारा 3 की उप-धारा (2) में पर्याप्त रूप से परिभाषित किया गया है, जो भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित है।

...3/-

**(च)**: केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, सूची से हटाने और शामिल करने के मानदंड के आधार पर लाभार्थियों की पहचान करने और उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के तहत समावेशन के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने के लिए परामर्शिका जारी करती है। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस को अद्यतन कर रहे हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटा दिए जाएं और सही लाभार्थियों का बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित किया जा सके। एनएफएसए के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जो सबसे गरीब हैं, प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न जबकि प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं।

*****